बिसलेरी कंपनी के नाम से नकली पानी बेचता हुआ दुकानदार गिरफ्तार

गौतमबुद्ध नगर, 28 अक्टूबर (हि.स.)। बिसलेरी कंपनी के नाम से नकली पानी की बोतल बेचने वाले एक दुकानदार को थाना सेक्टर 113 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 20 लीटर के जार में भरे हुए 234 बिसलेरी की बोतलें तथा बिसलेरी कंपनी के स्टीकर लगे हुए पानी की खाली बोतलें आदि बरामद की है।थाना सेक्टर 113 के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि शगुन पुत्र कुंवर पाल सिंह ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनके अनुसार वह वर्तमान समय में बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार वह 27 अक्टूबर को सोरखा गांव में पहुंचे। उन्हें सूचना मिली कि आर एस मिश्रा स्टोर के परिसर में बिसलेरी के पानी रखे हुए हैं। वह बिसलेरी कंपनी के अधिकृत चैनल पार्टनर बनकर बिसलेरी कंपनी के नकली पानी को बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि आर एस मिश्रा स्टोर उनकी कंपनी के अधिकृत चैनल पार्टनर की सूची में शामिल नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने परिसर के अंदर लगभग 234 सील किए गए और पैक हुए बिसलेरी के 20 लीटर के जार तथा 70 खाली 20 लीटर पानी के जार देखा। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कॉपी राइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि रमाशंकर मिश्रा की दुकान से प्राप्त सभी बिसलेरी के पानी के जार पर नकली पैकेजिंग आदि लगाया गया है। बारकोड और अन्य गोपनीय जानकारी भी नकली है।

Source: https://vocaltv.in/crime/a-shopkeeper-selling-counterfeit-water-under-the-bphp/cid17694365.htm